# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| प्रार्थीया | ब | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| कानीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी बड़ला का बास कुचामनसिटी | नाम | टोडूराम पुत्र शिवबक्ष कुम्हार वगैरह निवासी बड़ला का बास कुचामनसिटी |

राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर 104/2022 GCMS No.2022/ 212

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/06/2022 | वकील प्रार्थी द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 22.07.2022 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 431 रकबा 3.23 हैक्टर में अप्रार्थीगण सं.1 सं 6 बिना विधिवत बंटवार कराये बेचान, हस्तानान्तरण, बक्शीश, रहन इत्यादि नही करे, प्रार्थीया को बेदखल नही करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे, अप्रार्थी सं. 7 मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, अप्रार्थी संख्या 8 किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 22.07.2022 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी (नागौर) | |
| 04/07/2022 | वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज-तलब पर ली गई। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बयान किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र चलाना नही चाहते अतः प्रार्थना पत्र वापिस विड्रोल स्वीकार किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र वापिस विड्रोल खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल-शुमार होकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो। | कानी देवी |

उपखण्ड अधिकारी